

# कोरोना : आधे देश को फिर से खोलने की तैयारी में मेक्सिको

मेक्सिको सिटी, 13 जून (एपी)।

मेक्सिको ने अगले हफ्ते से देश के आधे हिस्से में कारोबारों को फिर से खोलने की तिथि निर्धारित करनी शुरू कर दी है जबकि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश में शुक्रवार को रिकॉर्ड 5,222 मामले सामने आए और 504 लोगों की मौत हो गई। देश में संक्रमण के कुल मामले अब 1,39,196 हो गए हैं और मृतक संख्या 16,450 हो गई है। दोनों ही आंकड़े सीमित जांच की वजह से काफी कम माने जा रहे हैं। संघीय सरकार ने घोषणा की कि सोमवार से शुरू करते हुए मेक्सिको के 32 में से आधे राज्य होटल एवं रेस्तरां को सीमित तरीके से फिर से खोल पाएंगे और बाजार बड़े पैमाने पर फिर खुल पाएंगे। उदाहरण के लिए, फैक्ट्री और होटल सुरक्षात्मक कदम उठाने के साथ ही काम करना शुरू कर सकते हैं।

यह योजना चार रंगों की पद्धति पर आधारित होगी जिसमें सबसे अधिक प्रभावित राज्यों को लाल रंग दिया गया है और जिनमें सुधार हो रहा है उन्हें नारंगी रंग दिया गया है। स्थितियों में सुधार होने पर इन राज्यों को धीरे-धीरे पीला और हरा रंग दे दिया जाएगा।

जिन राज्यों को दोबारा खोला जा रहा है उनमें कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की दर घट रही है, संक्रमण की दर कम है और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता स्वीकार्य अनुपात में है।

मेक्सिको सिटी अब तक देश का सबसे अधिक प्रभावित हिस्सा है और इसलिए इसे दोबारा खोलने वाले राज्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन शहर की सरकार ने पुनः आरंभ की अपनी खुद की योजना की शुक्रवार को घोषणा की जो अगले हफ्ते से शुरू होगा।

# अव्यवस्था के दौर में भगवद् गीता में मिलेगी शक्ति व शांति : तुलसी गबाड

वाशिंगटन, 13 जून (भाषा)।

अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबाड ने कहा कि इस अस्त-व्यस्त दौर में व्यक्ति को भगवद् गीता में निश्चिन्ता, शक्ति और शांति मिल सकती है। ऑनलाइन दिए संबोधन में हवाई से 39 वर्षीय कांग्रेस सदस्य ने कहा कि यह अव्यवस्था का दौर है और कोई भी यकीन के साथ यह नहीं कह सकता कि आने वाला काल कैसा

होगा। गबाड ने 'हिंदू छात्रों के लिए 2020 की कक्षा' में कहा कि लेकिन हम भगवद् गीता में कृष्ण द्वारा सिखाए भक्ति, योग और कर्म योग के जरिए निश्चिन्ता, शक्ति और शांति पा सकते हैं। अमेरिका के मिनीयापोलिस में एक श्वेत पुलिस अधिकारी के हाथों अप्रतीक्षित-अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच उनका यह संबोधन हुआ है।

हिंदू छात्र परिषद ने सात जून

को पहले ऑनलाइन हिंदू संबोधन का आयोजन किया जिसमें कोविड-19 संकट के दौरान एकजुटता व्यक्त करने के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर हजारों दर्शक आए।

जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार इस महामारी से दुनियाभर में 76,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 4,25,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित देश है।

**ORIENT BELL LIMITED**  
 Regd. Office : 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203 205 (U.P)  
 Corp. Off : Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046  
 CIN: L14101UP1977PLC021546, Tel.: +91-11-47119100  
 Email : investor@orientbell.com, Website : www.orientbell.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 17<sup>th</sup> day of June, 2020 at New Delhi, to interalia, consider and approve the Audited Financial Results for the Quarter/Year ended 31.03.2020. Further, the details of this notice are available on Website of the Company at www.orientbell.com and also on the Websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India (www.nseindia.com).

For Orient Bell Limited  
Sd/-  
Yogesh Mendiratta  
Company Secretary

Place : New Delhi  
Date : 13.06.2020

**ORIENT BELL LIMITED**  
 Regd. Office : 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203 205 (U.P)  
 Corp. Off : Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046  
 CIN: L14101UP1977PLC021546, Tel.: +91-11-47119100  
 Email : investor@orientbell.com, Website : www.orientbell.com

**FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF ORIENT BELL LIMITED**

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide various circulars have permitted the listed companies to send the Notice of the Annual General Meeting ("AGM") and the Annual Report for the AGM to be held during the Calendar year 2020 i.e till December 31, 2020, to their shareholders by way of an email in view of prevailing COVID-19 pandemic situation and difficulties involved in dispatch of physical copies. Sending Notice of AGM and Annual Report through email shall be sufficient compliance of the provision of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In order to send Annual Report, Notice and other Communication to shareholders in electronic form i.e through emails, we request the members of the Company, who have not yet registered their proper and correct email address and mobile number, to register the same immediately in respect of shares held in electronic form, with their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form, by communicating/ writing to the Company or Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110 020, Tel.No. 011-41406149, Email : admin@mcsregistrars.com.

No action is required from shareholders whose email address and mobile number are already correctly updated.

For Orient Bell Limited  
Sd/-  
Yogesh Mendiratta  
Company Secretary

Place : New Delhi  
Date : 13.06.2020

**State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक**  
 तनावग्रस्त परिसरमात वसुली शाखा (माता नगर एवं जखीरा के बीच), 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015  
 टेली: 011-25419177, 25108667, फैक्स: 011-25413434, ईमेल: sbi.05169@sbi.co.in

**कब्जा सूचना**  
**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2020 के नियम 8(1) के अंतर्गत**

जैसा कि, विनाय परिसरपात्रों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, एएसआरबी-1 (माता नगर एवं जखीरा के बीच), 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2020 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखितों ने मांग सूचना भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी.सी. कडकड़कडूमा (15811) दिल्ली-110032 द्वारा उक्त अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 15.1.2020 जारी कर ऋणधारक श्री मुकेश, पुत्र श्री पन्ना लाल एवं श्रीमती रेखा राणी, पत्नी श्री मुकेश, बी-3/197, नंद नगरी, दिल्ली-110093 तथा साथ ही: श्री मुकेश, पुत्र श्री पन्ना लाल एवं श्रीमती रेखा राणी, पत्नी श्री मुकेश, फ्लैट नं. 1, भाग नं. 2 एवं 3, डीडीए फ्लैट, जौदीबी एक्सप्रेस, दिल्ली-110095 तथा साथ ही: श्री मुकेश, पुत्र श्री पन्ना लाल एवं श्रीमती रेखा राणी, पत्नी श्री मुकेश, 73वीं, डीडीए फ्लैट, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032 (ऋणधारक एवं गारंटर सामूहिक रूप से यहां के बाद "गारंटर" वर्णित) को उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि तिथि 15.1.2020 को रु. 29,85,891/- ( रुपये उन्तीस लाख पचासी हजार आठ सौ इक्यानेत्रे मात्र तथा सभी अनुभाषिक खर्च, लागत, चार्जज आदि के साथ वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 9 जून, 2020 को अधोलिखितों ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उद्धृत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखितों ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर्स तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय तिथि 15.1.2020 को रु. 29,85,891/- ( रुपये उन्तीस लाख पचासी हजार आठ सौ इक्यानेत्रे मात्र तथा सभी अनुभाषिक खर्च, लागत, चार्जज आदि के साथ वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/गारंटर/माटीजीजर का ध्यान प्रतिभूत परिसरमातियों को विभाषित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
 फ्लैट नं.-73-बी, 111 तल, डाइए एक्सप्रेस, मानसरोवर पार्क, दिल्ली

तिथि: 09.06.2020, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

**State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक**  
 तनावग्रस्त परिसरमात वसुली शाखा (माता नगर एवं जखीरा के बीच), 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015  
 टेली: 011-25419177, 25108667, फैक्स: 011-25413434, ईमेल: sbi.05169@sbi.co.in

**कब्जा सूचना**  
**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2020 के नियम 8(1) के अंतर्गत**

जैसा कि, विनाय परिसरपात्रों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, एएसआरबी-1 (माता नगर एवं जखीरा के बीच), 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2020 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखितों ने मांग सूचना भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी.सी. कडकड़कडूमा (15811) दिल्ली-110032 द्वारा उक्त अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 15.1.2020 जारी कर ऋणधारक श्रीमती शालिनी साधु एवं श्री रजनीश कुमार साधु, 46/2, गली नं. 1, भाग नं. 2 एवं 3, डीडीए फ्लैट, जौदीबी एक्सप्रेस, दिल्ली-110095 तथा साथ ही: श्री मुकेश, पुत्र श्री पन्ना लाल एवं श्रीमती रेखा राणी, पत्नी श्री मुकेश, बी-3/197, नंद नगरी दिल्ली-110093 तथा साथ ही: श्री रजनीश कुमार साधु, पुत्र श्री राजकुमार साधु, मे. फेब एसीएसएल के प्रांदावर, ए-121, ईस्ट आजाद नगर, ऊपरी भूतल, कृष्णा नगर, गली नं. 6, दिल्ली-110051, साथ ही: श्रीमती शालिनी साधु एवं श्री रजनीश कुमार साधु, 46/2, गली नं. 1, भाग नं. 2 एवं 3, डीडीए फ्लैट, जौदीबी एक्सप्रेस, दिल्ली-110095 (यहां के बाद ऋणधारक एवं गारंटर सामूहिक रूप से "ऋणधारक" वर्णित) को उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 18,04,502.00 ( रुपये अठारह लाख चार हजार पांच सौ दो मात्र), 2) रु. 6,91,503 ( रुपये छः लाख इक्यानेत्रे हजार पांच सौ तीन मात्र), 3) रु. 21,760/- ( रुपये इक्यानेत्रे हजार सात सौ मात्र) 30.11.2019 को बकाया तथा सभी अनुभाषिक खर्च, लागत, चार्जज आदि के साथ ऋणः अनुबंधित दर पर उक्त राशि पर आगे का ध्यान रखकर लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 9 जून, 2020 को अधोलिखितों ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उद्धृत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखितों ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर्स तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 18,04,502.00 ( रुपये अठारह लाख चार हजार पांच सौ दो मात्र), 2) रु. 6,91,503 ( रुपये छः लाख इक्यानेत्रे हजार पांच सौ तीन मात्र), 3) रु. 21,760/- ( रुपये इक्यानेत्रे हजार सात सौ मात्र) 30.11.2019 को बकाया तथा सभी अनुभाषिक खर्च, लागत, चार्जज आदि के साथ ऋणः अनुबंधित दर पर उक्त राशि पर आगे का ध्यान के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारंटर/माटीजीजर का ध्यान प्रतिभूत परिसरमातियों को विभाषित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
 ए-121, ईस्ट आजाद नगर, गली नं. 6, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051

तिथि: 09.06.2020, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

**TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD.**  
 शाखा पता : 7वीं मंजिल, चौडिहोकोन टॉवर, इण्डियाप्लान एक्सप्रेसवे, नई दिल्ली-110055.  
 पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पैनिसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पेंडेल, मुम्बई-400013  
 ई-नीलामी का निरन्तरिकरण  
 सूचीय नंबर गोबल (6844212)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 14 जुलाई, 2020 को निर्धारित ई-नीलामी निराल खर दी गयी है। टाटा कैपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड ने टूटमार्गेट सेंटर, आजादनगर, नई दिल्ली-110033 पर स्थित प्रतिभूत आसि "प्लॉट नं. 37, बेसग्राम माप 87.6 वर्ग मीटर, सीमाएं : पूर्व : प्लॉट नं. 38, पश्चिम : प्लॉट नं. 38, उत्तर : सर्विस लेन, तथा दक्षिण : सड़क" की बिक्री को 3.06.2020 को ई-नीलामी बिक्री सूचना निराल की थी।

ई. अधिकृत प्राधिकारी  
 टाटा कैपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड

**State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक**  
 तनावग्रस्त परिसरमात वसुली शाखा (माता नगर एवं जखीरा के बीच), 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015  
 टेली: 011-25419177, 25108667, फैक्स: 011-25413434, ईमेल: sbi.05169@sbi.co.in

**कब्जा सूचना**  
**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2020 के नियम 8(1) के अंतर्गत**

जैसा कि, विनाय परिसरपात्रों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, एएसआरबी-1 (माता नगर एवं जखीरा के बीच), 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखितों ने मांग सूचना भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी.सी. कडकड़कडूमा (15811) दिल्ली-110032 द्वारा उक्त अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 2.1.2020 जारी कर ऋणधारक श्री पीपूरा गुप्ता, पुत्र श्री पवन कुमार एवं श्रीमती सुनीता गुप्ता, पत्नी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, पी. 262, प्रथम तल विवेक विहार, दिल्ली-110098 तथा साथ ही: श्रीमती सुनीता गुप्ता, पत्नी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, कार्मसंस्थल डीडीए शांति नं. 12 (भूतल) एएसएससीओ, ब्लॉक ओएचपी, जॉन ई-6, दिल्ली चार्जज नगर, दिल्ली-1110098 (ऋणधारक तथा गारंटर यहां के बाद सामूहिक रूप से "ऋणधारक" वर्णित) को उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 2.1.2020 को रु. 28,70,086 ( रुपये अठारह लाख सत्तर हजार शिवासी मात्र) अनुबंधित दर पर उक्त राशि पर आगे का ध्यान तथा सभी अनुभाषिक खर्च, लागत, चार्जज आदि के साथ के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 9 जून, 2020 को अधोलिखितों ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उद्धृत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखितों ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर्स तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 2.1.2020 को रु. 28,70,086 ( रुपये अठारह लाख सत्तर हजार शिवासी मात्र) अनुबंधित दर पर उक्त राशि पर आगे का ध्यान तथा सभी अनुभाषिक खर्च, लागत, चार्जज आदि के साथ के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारंटर/माटीजीजर का ध्यान प्रतिभूत परिसरमातियों को विभाषित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
 दिल्ली गार्डन, दिल्ली-110095 में स्थित ब्लॉक आ ए एवं पा जॉन 2-6 में कार्मसंस्थल डाइए शांति नं. 12, भूतल पर, केवल एएसएससी शाक का क्षेत्रफल: 6.66 वर्ग मी. (सामग्य 71.66 वर्ग फीट) भारत में अवस्थित।

तिथि: 09.06.2020, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

**PTC India Financial Services Limited**

(₹ in lakhs)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated					
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended			
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited		
1.	Total income from operations (net)	33,280.48	33,170.32	33,081.71	1,36,425.01	1,33,441.57	33,280.48	33,170.32	33,081.71	1,36,425.01	1,33,441.57
2.	Net profit from ordinary activities after tax	705.27	4,306.27	3,675.74	10,999.89	18,414.26	705.27	4,306.27	3,675.74	10,999.89	18,414.26
3.	Total comprehensive income / (expense) net of tax)	546.89	4,243.71	2,456.03	10,756.80	15,053.04	546.89	4,243.71	2,456.03	10,756.80	15,053.04
4.	Equity Share Capital	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33
5.	Reserves (excluding revaluation reserves as per balance sheet)	1,47,253.73 (as At 31.03.2020)									
6.	Earnings per share (not annualised) (Face value ₹ 10 per share) in ₹										
	- Basic	0.11	0.67	0.58	1.71	2.87	0.11	0.67	0.58	1.71	2.87
	- Diluted	0.11	0.67	0.58	1.71	2.87	0.11	0.67	0.58	1.71	2.87

**Note:** The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the Stock Exchange websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and Company's website at <http://www.ptcfinancial.com/financialinformation.html>. There is no extraordinary item.

For and on behalf of the Board of Directors  
**Dr. Pawan Singh**  
 Managing Director and CEO

Place: New Delhi  
 Dated : June 13, 2020

(CIN: L65999DL2006PLC153373)

**Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066, India**  
**Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374, Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com**

**Satyadeo Narain Arya**  
 Governor, Haryana

सत्यमेव जयते

**सत्यदेव नारायण आर्य**  
 राज्यपाल, हरियाणा

**संदेश**

**विश्व रक्तदाता दिवस**

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हर वर्ष पूरे विश्व में 14 जून का दिन विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस डा. लार्ड कॉल लेंडस्टेनर, नोबेल पुरस्कार विजेता के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने रक्त समूहों का आविष्कार कर मानवता की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व रक्तदाता दिवस का एक विशेष थीम "Safe Blood Save lives" है। जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक रक्तदान तथा सुरक्षित रक्तदान करना है। स्वैच्छिक रक्तदान सुरक्षित रक्त प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है। अतः हमें रक्त के व्यवसायीकरण को नियंत्रित करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना है।

यह दिवस रक्तदाताओं को धन्यवाद देने का दिवस है जो निरंतर रक्तदान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसके साथ-साथ जिन लोगों को रक्तदान के प्रति कोई भ्रम या आशंका है तो उन लोगों को भी जागरूक कर रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे वे रक्तदान अभियान से जुड़कर इन सर्वोत्तम सेवाओं के भागीदार बन सकें। भारतीय रेडक्रॉस समिति, हरियाणा राज्य शाखा अपनी जिला शाखाओं के माध्यम से रक्तदान के महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है।

आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है वहीं लॉकडाउन के कारण रक्तदान सेवाओं पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी रेडक्रॉस के समर्पित स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर रक्तदान सेवाओं में अपना भरपूर योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप हरियाणा राज्य रेडक्रॉस द्वारा रिकार्ड 30149 रक्त इकाइयां एकत्रित की गईं तथा 627 रक्तदान शिबिरों का आयोजन किया गया। इस दौरान थैलेसिमिया तथा कैसर से ग्रसित मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य जरूरतमंदों को रक्त की आपूर्ति निर्बाध रूप से प्रदान की गई। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी अपने ट्वीटर हैंडल के माध्यम से यह बताया गया कि दिल्ली में रक्त की आवश्यकता के संबंध में भारतीय रेडक्रॉस समिति के नियंत्रण कक्ष में संपर्क करें।

मैं इस दिवस पर विशेष रूप से रेडक्रॉस के समर्पित स्वयंसेवकों द्वारा कोविड-19 संक्रमण काल में प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ प्रदेशवासियों को यह आह्वान करता हूं कि वे रक्तदान के क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दें जिससे रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित कर अमूल्य मानव जीवन की रक्षा की जा सके।

(सत्यदेव नारायण आर्य)

Web-<http://haryanarajbhavan.gov.in>

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India**

आंध्रा ANHRA कापॉरेशन Corporation

(A Government of India Undertaking)

**बिक्री के विषय में सूचना देने के लिये ऋणधारकों के लिये सूचना (30 दिनों की सूचना) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2)/8 (6) के अंतर्गत**

शाखा का नाम एवं पता	ऋणधारक (को) / गारंटर (रों) / सह आवेदक/ सह-देनदार का नाम/ पता/ सम्पर्क सं.	संपत्तियों का विवरण	आरंभित मूल्य		कब्जा सूचना की तिथि
			मांग सूचना तिथि	सूचना की तिथि	
पलवल आम बिल्डिंग आगरा चौक पलवल, हरियाणा-121102 टेली. नं. 01275-242052	ऋणधारक: (निवासी) विजय कुमार, पत्नी स्व. श्री हरिपाल डी.नं. मकान सं. डी-178, हनुमान मंदिर के निकट, बाई नं. 31, पलवल, एचआर-121102, कार्यालय विजय कुमार, पत्नी स्व. श्री हरिपाल, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा कार्यालय, सेक्टर-23, फरीदाबाद, हरि.-121005 सह-देनदार (निवासी): हरि राम, पुत्र अमी लाल (बीएसएनएल कर्मचारी) बी 2, सिविल लाइन 2, बाई नं. 21, तह. एवं जिला पलवल, हरि.-121102, कार्यालय हरिराम, पुत्र अमी लाल एसीओ (टी) बीएसएनएल कार्यालय, पलवल, एचआर-121102	अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा: 765.27 वर्ग फीट जो एच.नं. 178, एलआईडी-1, सेक्टर-2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हुडा, तह. एवं जिला पलवल, हरि.-121102 में स्थित है तथा चौहद्दी: पूर्व: पुर, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, उत्तर: मकान सं. 179, दक्षिण: मकान सं. 177	रु. 29,50,000/- 11.10.2019	07.02.2020	
सेक-17, फरीदाबाद एससीएफ 126-127, सेक्टर-17, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 टेली. नं. 0129-2288745	ऋणधारक: मे. सनशाइन इंडस्ट्रीज ग्राम पाली (निकट एमएमडब्ल्यू चकंशोण) बडखल पाली रोड फरीदाबाद, हरियाणा श्री जगदीश चोपड़ा (प्रिंपाईटर) 263, ढाका बिल्डिंग, नई दिल्ली-110009 गारंटर: श्री रामपाल अरोड़ा 687, सेक्टर-21ए, फरीदाबाद	अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा: 1. भूमि तथा भवन: प्लॉट नं. 12ए, खसरा नं. 955 एवं 950, मौजा आंता बगर, राजधानी कॉलोनी बुन्दान, मधुग 281406 में स्थित आवासीय, माप लगभग 8926.92 वर्ग फीट तथा चौहद्दी: पूर्व: कॉलोनी रोड 30 फीट चौड़ा, पश्चिम: चाक रोड, उत्तर: प्लॉट नं. 14, दक्षिण: प्लॉट नं. 12	रु. 39,67,000/- 22.05.2019	3.10.2019	
एनआईटी, फरीदाबाद 5 ई/7, बी.पी. रेलवे रोड, एनआईटी फरीदाबाद-121001, टेली. नं. 0129-2420061	ऋणधारक: मे. सेठी ट्रेडिंग कम्पनी प्रिंपाईटर: श्री शेर मोहम्मद, शोप नं. 5-6, बडखल पाली रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद-121001 गारंटर: सजय खान, एच.नं. बी-331, ग्राम बडखल, फरीदाबाद-121001	अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा: 1. भूमि तथा भवन: आवासीय सम्पत्ति एच.नं. बी-331, खेत नं. 176, खाता नं. 275 27 रेक्ट नं. 73 किरला नं. 10/3/2 (1-1), 10/3/1 (1-10), 11/1 (0-22) रेक्ट नं. 74, किरला नं. 6/1 (2-10) का भाग, ग्राम बडखल फरीदाबाद में स्थित आवासीय, माप लगभग 12519 वर्ग फीट तथा चौहद्दी: पूर्व: रोड, पश्चिम: अन्य सम्पत्ति, उत्तर: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण: रोड 2. भवन: व्यावसायिक सम्पत्ति शोप नं. 5 एवं 6, सैफी प्लाजा, खेत/खाता नं. 273/418, 189/227 एवं 288,			